1 <u>दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन</u>

प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080 तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460- प्रति परिवार प्रति-वर्ष की सीमा के अन्दर हों के भरण-पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना अन्तर्गत रू0 1000 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है।

<u>आवेदन की प्रक्रिया- निम्नलिखित प्रपत्र होने आवश्यक हैं -</u>

- न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र
- गरीबी की रेखा के नीचे का आय प्रमाण-पत्र
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
- ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव/शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया उपजिलाधिकारी के माध्यम से सम्पन्न होती है।
- बैंक पासबुक की छाया-प्रति

लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन को सर्वप्रथम https: sspy-up.gov.in पर अपना आवेदन करना होता है जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के सत्यापनोपरान्त पात्र दिव्यांगजन को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है।

<u>भुगतान की प्रक्रिया- पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली (ई-पेमेंट के माध्यम से अनुदान की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में अन्तरित की जाती है।</u>